

केवल नियमित परीक्षार्थियों के लिए

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क विवरण
वर्ष 2023

गत वर्ष का केन्द्र कोड

--	--	--	--	--	--

विद्यालय का नाम विद्यालय कोड

--	--	--	--	--	--

(✓) करें।

शाला प्रधान का नाम विद्यालय का फोन मय STD कोड (मो.नं.)

वर्तमान परीक्षा केन्द्र का नाम

यदि विद्यालय इस वर्ष नव क्रमोन्नत है तो निकटतम दो परीक्षा केन्द्रों के नाम अवश्य लिखे जायें।

1.

2.

परीक्षा का नाम वर्ष

(उच्च माध्यमिक/व.उपाध्याय/माध्यमिक/प्रवेशिका/व्यावसायिक परीक्षा)

नोट : प्रत्येक परीक्षा के लिए पृथक-पृथक भरें।

परीक्षा शुल्क की गणना :-

(A) सामान्य परीक्षा शुल्क	:- कुल परीक्षार्थी	× 600/- = रु.
(B) एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	:- कुल परीक्षार्थी	× 1200/- = रु.
(C) टोकन शुल्क (दिव्यांग/नेत्रहीन/सेनिकों के आश्रित)	:- कुल परीक्षार्थी	× 50/- = रु.
(D) (i) प्रायोगिक परीक्षा शुल्क (एक विषय)	:- कुल परीक्षार्थी	× 100/- = रु.
(ii) प्रायोगिक परीक्षा शुल्क (दो विषय)	:- कुल परीक्षार्थी	× 200/- = रु.
(iii) प्रायोगिक परीक्षा शुल्क (तीन विषय)	:- कुल परीक्षार्थी	× 300/- = रु.

कुल राशि रु. _____

कुल आवेदन पत्र

परीक्षा शुल्क (On Line) जमा कराने का विवरण :-

1. ट्रांजेक्शन नं.	दिनांक	रूपये	बैंक	ब्रांच :
2. ट्रांजेक्शन नं.	दिनांक	रूपये	बैंक	ब्रांच :
3. ट्रांजेक्शन नं.	दिनांक	रूपये	बैंक	ब्रांच :

दिनांक

ह. (शाला प्रधान)

सील मय विद्यालय कोड

नोडल केन्द्र प्रभारी द्वारा पूर्ति

उपरोक्तानुसार विद्यालय से आवेदन पत्र तथा चालान रसीदें

प्राप्त किये। सभी आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के अन्तर्गत हैं।

दिनांक

ह. (नोडल केन्द्र प्रभारी)

नोडल केन्द्र संख्या

सील

नोट :- 1. उपरोक्त प्रपत्र तीन प्रतियों में भरा जावे। एक प्रति संबंधित शाला में रहेगी। एक प्रति नोडल केन्द्र प्रभारी के पास रहेगी तथा एक प्रति अग्रोषण सूची, आवेदन-पत्रों एवं परीक्षा शुल्क के विवरण के साथ बोर्ड को भेजी जावे।

2. विद्यालयों से संशोधन हेतु अस्थायी आवेदन पत्र (Provisional Form for correction) किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जाए। चूंकि उक्त अस्थायी आवेदन पत्र बिना फीस के डाऊनलोड किये जाते हैं। डाऊनलोड पश्चात् शुल्क के चालान की प्रति निकालकर शाला प्रधान द्वारा परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करवाने के पश्चात् चालान के ट्रांजेक्शन नं. से आवेदन पत्रों की हॉर्ड कॉपी निकाली जाती है जिन पर चालान नं./ट्रांजेक्शन नं. लिखा होता है। केवल वही आवेदन पत्रों की हॉर्ड कॉपी जमा करें। **Provisional form for correction** वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे अन्यथा समस्त जिम्मेदारी नोडल अधिकारी की होगी।